

न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र

मु.न. 06/2023

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बहादुरवास

बनाम

राजेश कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बहादुरवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनू

— अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

आदेश

दिनांक 19.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बहादुरवास द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम बहादुरवास के भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है. किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.03 हैक्टर पर राजेश कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बहादुरवास ने चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान को नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि मेरे दादा स्व. श्री तारूराम पुत्र वेगराज द्वारा हमारी जाव (खेड़ी) में मकान बनाकर रहवास करने हेतु मेरे पिता स्व. श्री महावीर सिंह के हिस्से में दी थी जिसमें हम दो भाई राजेश कुमार व सुनिल कुमार आदिनांक को रहवास कर रहे हैं। इस खसरे के आगे से गै.मु. चारागाह ख. स. 538/146 स्थित है जिसकी कुछ सीमा इसके लगती है तो उसके संबंध में तहसीलदार महोदय झुंझुनू द्वारा धारा 91 के नोटिस वर्ष 1975 व 1994 में मेरे पिता के नाम से जारी किये गये थे जिसका निर्णय हमें अप्राप्त है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह/जोहड़ पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायल को वादगस्त आराजी ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है. गै.मु. चारागाह में से 0.03 है. पर चारदिवारी बनाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारित किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 17/-रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पेनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराई जावे। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि चारागाह भूमि पर बने चारदिवारी को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व गैरसायल को मांके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)

तहसीलदार मंडावा  
तहसीलदार मण्डावा

जिला झुंझुनू

पत्र संख्या 89 पर राशि  
17 रु वर्ष 24-25 में मांग कायम  
है।

(14)  
तहसील राजस्व लेखाकार